

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर-492002

क्रमांक: एफ 16-01/2018/नौ/55-4 अटल नगर, रायपुर, दिनांक: 26/11/18
प्रति,

✓ संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय:- राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निजी चिकित्सालयों से प्राप्त प्रस्तावों की प्रक्रिया/निरीक्षण हेतु चरणबद्ध वार्षिक कैलेण्डर का निर्धारण बाबत।


संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रं. 3672/ओएसटी/संचिशि/2016-17, दिनांक 29.09.2018।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के रोगों की जाँच/उपचार के लिये राज्यान्तर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निजी चिकित्सालयों से प्राप्त प्रस्तावों के निरीक्षण हेतु निम्नानुसार चरणबद्ध वार्षिक कैलेण्डर का निर्धारण करता है:-

स.क्रं.	गतिविधियाँ	समय-सीमा
(1)	(2)	(3)
01	इच्छुक निजी चिकित्सालय द्वारा प्रस्ताव का संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में प्रस्तुतीकरण	01 मई से 30 जून तक
02	जाँच सूची एवं प्रस्ताव का सत्यापन एवं मूल्यांकन	01 जुलाई से 31 अगस्त तक
03	संचालनालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (एक्सपर्ट कमेटी) द्वारा संस्थान का निरीक्षण	01 सितम्बर से 30 अक्टूबर तक
04	विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को शासन को प्रेषित करना	01 नवम्बर से 30 नवम्बर तक
05	अमान्य किये गये संस्थाओं का संचालनालय में पुनर्विचार हेतु पुनः प्रस्तुतीकरण (केवल एक बार)	01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक
06	मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु संचालनालय में नवीनीकरण शुल्क जमा कराना	01 जनवरी से 31 जनवरी तक
07	मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु संचालनालय में नवीनीकरण शुल्क जमा कराये जाने के पश्चात् शासन को नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करना	01 फरवरी से 28 फरवरी तक

3/ कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित वार्षिक कैलेण्डर अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।



(एम.एन. राजूरकर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग